

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 16(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 6971 दिनांक 02-08-23

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

विषय:- Creation of 33/11 KV kune to new grid sub station Jogania Mat.
(Proposal No. FP/RJ/TRANS/50545/20210)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा ऑनलाईन प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण अभी भी दिया जाना अपेक्षित है:-

1. पालना अपूर्ण। प्रस्तावानुसार 33 के0वी0 ए0 11 के0वी पारेषण लाईन डाला जानी है किन्तु DGPS-मेप में दोनों लाईन किस प्राकर डाली जावेगी उसका ले आउट दिया जाना प्रस्तावित है।
2. पालना अपूर्ण। रोजगार सृजन की सूचना हार्ड प्रति में संलग्न है किन्तु ऑनलाईन अपलोड नहीं की गयी है इसके अतिरिक्त पारेषण लाईन के निर्माण में कितने रोजगार सृजन किये जावेगें यह तथ्य अंकित नहीं किया गया है।
3. पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा प्रेषित अनुपालना संतोषजनक नहीं है उप वन संरक्षक क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु कम घनत्व वाले वन क्षेत्र में प्रस्तावित करे एवं भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुरूप क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. पालना अपूर्ण। प्रकरण पारेषण लाईन के निर्माण से संबंधित है। इसमें वृक्षों का पातन टावर निर्माण में ही होता है अन्य क्षेत्र में नहीं होता है। अतः उप वन संरक्षक इस आशय से पुर्नविचार कर स्पष्ट करे कि कुल कितने वृक्षों का विदोहन किया जावेगा।
5. पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड प्रति में संलग्न की गयी है किन्तु ऑनलाईन नहीं की गयी है।

उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 16(TRANS)2020/एफसीए/प्रमुवसं/ 6972-73 दिनांक 02-08-23

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़।
2. सहायक अभियंता (प.व.स.) अ.वि.वि.नि.लि., बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर